निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1931 (शo)

(सं0 पटना 629) पटना, सोमवार, 21 दिसम्बर 2009

सं0 3ए-3-भत्ता-01/2009—12084 वि0(2)

वित्त विभाग

संकल्प

18 दिसम्बर 2009

विषयः—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को अपुनरीक्षित वेतनमान में महंगाई भत्ता की दरों में दिनांक 01 जुलाई 2009 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 8974, दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2009 के प्रभाव से 64 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

(2) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-EII(B), दिनांक 29 सितम्बर 2009 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों (जिनका वेतन पुनरीक्षण 01 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01 जुलाई 2009 से 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

(3) राज्य सरकार नीतिगत रूप से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय ले चुकी है। तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन के पश्चात् राज्य कर्मियों को उक्त दर पर महंगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है ।

(4) अतः केन्द्रीय कर्मियों के सदृश्य दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनका दिनांक 01 जनवरी 2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01 जुलाई 2009 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

(5) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(6) महंगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगी ।

(7) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवांर,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 629-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in